10. जांच रिजोर्ट पर कार्रवाई (1) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी (a) जांच रपट पर चिार करने के बाद यह राय रखे कि न्यायके हित में अथ किसी साक्षी की आगे की जाँच आवश्यक है तो वह उस साक्षी को बुला सकता है और इसकी जाँच , प्रतिपरीक्षा और इसकी पुन: जाँचकर सकता है (b) यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है तो वह कारणों को लिखित में दर्ज किए जाने हेतु, मामला को आगे की जाँच और रिपोर्ट के लिए इसे जॉच प्राधिकारी को अग्रषित करेगा और जाँच प्राधिकारी यथा संभव नियम वने प्रावधानों के अनुसार आगे की कारवाई किए जाने हेतु कार्रवाई आरंभ करेगा (2) अनुशासनिक प्राधिकारी (a) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच, यदि कोई है, की रिपोर्ट की प्रति को अग्रेषित कराएगा या करेगा अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जाँचप्राधिकारी नहीं है। वहाँ रेलकर्मी पर लगे आरोपोंप जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों सहित उपनियम 1(a) के तहत साक्षी, यदि कोई हो, थी अगामी जाँच पर निष्कर्षों और जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि को अग्रेषित करेगा तथा रेलकर्मी यदि ऐसा चाहता है तो रिपोर्ट रेलकर्मी के पक्ष में हो या न हो पर विचार किए बिना पंद्रह दिनों के अंदर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन या आवेदन प्रस्तुत करेगा और 14(b)के अनुसार, रेलकर्मी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई है, पर चिार करेगा तथा उपनियमों(3), (4) और (5) के अनुसार मामले पर आगे बढ़ने से पहलेइसके निष्कर्षों को दर्ज करेगा।

(3) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि अपेक्षित दंड इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है तो वह जांच के रिपोर्ट को उपयुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेगा जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का आरोप की सभी या किन्हीं मदोंपर अपने निष्कर्षों के संबंध में यह राय रखें कि नियम 6 के उप-नियमों (V) से (IX) में निर्दिष्ट किसी शासित को रेलकर्मी पर आरोपित किया जाना चाहिए तो नियम 11 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के रहते हुए भी इस प्रकार की शास्ति को लागू करने के लिए आदेश कर सकता है बशर्ते प्रत्येक मामले में जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक है,वहाँ आयोग की राय के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच के रिकार्डअग्रेषित किया जाएगा तथा रेलकर्मी पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करने के लिए आदेश किए जाने से पहले इस प्रकारके परामर्श पर विचार किया जाएगा।

(5) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के सभी या किन्हीं मदों पर इसके निष्कर्षों और जाँच के दौरान लाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह राय दे कि नियमों 6 के उपनियमों (V) से (X) में निर्दिष्ट कोई शास्ति रेलकर्मी पर आरोपित होनी चाहिए तो वे इस प्रकार की शास्तिआरोपित करने के लिए आदेश देगा और यह आवश्यकनहींहोगा कि आरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन किए जाने के लिए रेलकर्मी को कोई अवसर दिया जाए बशर्ते प्रत्येक मामले में जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक है तो आयोग की राय लेने के लिए इसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वाराअग्रेषित किया जाएगा तथा रेलकर्मी पर इस प्रकार की शास्ति लगाने के लिए आदेश दिए जाने से पहले इस प्रकार के परामर्श पर विचार किया जाएगा: नियम:-

1. लम्बी अनुपस्थिति
2. कदाचार
3. अप्रिय घटना संबंधी कार्रवाई
4. अपराधिक मामलों संलिप्त
5. न्यायालय द्वारा दोषी, जैसा भी मामला हो,
6. भर्ती के समय गलत/भ्रामक सूचना देना
7. इनके निष्कासन के लिए उपयुक्त अन्य कोई गतिविधि अनुशासन व अपील नियम के तहत प्रयोग निम्नलिखित मानक प्रपत्र:-
   एस एफ-5:- अनुलग्नक I, II, III, IV
   एस एफ-7:- जाँच अधिकारी की नियुक्ति के लिए

एस एफ-8:- डिफेंस हैल्पर की नियुक्ति के लिए

- रेलकर्मी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट दिए जाना
- जाँच अधिकारी के विरूद्ध अभ्यावेदन देने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी को रिपोर्ट करना
- अपील समीक्षा/पुन:रीक्षण क्षमा याचना सहित NIP जारी करना

जाँच करने की प्रक्रिया:-

- कर्मचारी को आरोपों से अवगत कराया जाएगा। दस्तावेज आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएं
- आरोपी कर्मचारी से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोप को स्वीकार करता या इनसे इनकार करता है, डिफेंस काउंसिल लेंगे या अपना मामला खुद लड़ेंगें?
- आरोप पत्र में उल्लिखित अभियोजन साक्षी की जांचकी जाएगी।
- इसके बाद आरोपी कर्मचारी या इसके काउंसिल द्वारा प्रत्येक साक्षी का प्रति-परीक्षा की जाए। यदि आवश्यक हो तो प्रति-परीक्षा तथा पुन: जाँच की जा सकती है।
- आरोपी कर्मचारी को अपना बचाव रखने की अनुमति दी जाएगी।
- जाँच प्राधिकारी आरोपी कर्मचारी के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के तहत इनकी जाँच कर सकता है।
- आरोपी कर्मचारी को अपनाबचाव पक्ष रखने की अनुमति दी जाएगी।
- प्रेजेंटिंग अधिकारी (PO)जाँच अधिकारी को सार प्रस्तुत करेगा जो आगे CO को प्रस्तुत करेगा जो प्रेजेंटिंग अधिकारी (PO) के सार के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे।
    - रिकार्ड पर साक्ष्यों के आधार पर, रिकार्ड जार जाँच अधिकारी अपने निष्कर्षों और जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, अनुशासनिक प्राधिकारी को मामलें का रिकार्डऔर जाँच के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
    - जाँच रिपोर्ट की एक प्रति निरपवाद रूप से आरोपी कर्मचारी को दी जाए और कोई आगे की कार्रवाई किए जाने से पहले इनके बचावपक्ष पर चिार किया जाना चाहिए।
    - अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर विचार कर सकता है और इसे स्वीकार या इस पर स्वयं का निष्कर्ष दे सकता है अथवा इसका समशोधन कर सकता है अथवा पुन: जाँचके लिए कह सकता है।
    - यदि शास्ति दिए जाने का विनिश्चय किया जाता है जो इनके क्षेत्राधिकार में है तो अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति लागू करने की अधिसूचना जारी करेगा अन्यथा मामला सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

अपील

- सजा दिए जाने के आदेश से 45 दिनों की समय-सीमा अवधि होती है। उचित कारणों से विलंब को माफ (Condon)किया जा सकता है।
- सिंगल व्यक्ति अपनेनाम से अपील (याचना) करें। अपील केवल अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित की जाए। इसे अनुचित भाषा में नलिखाजाए।
- अधीनस्थ कर्मचारी को बड़ी शस्ति के मामले में अभ्यावेदन दिए जाने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।
- सामान्यत: दूसरी अपील नहीं होती है । इसकी अनुमति केवल D स्टाफ ग्रुप की बखास्तिगी, निष्काषन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में दी जाती है।

पुन:रीक्षण:- ग्रुप डी रेलकर्मी जो सेवा से बखास्ति , निष्काषित या अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए है उनकी उचित अपीलीय प्राधिकारी के पास की गई अपील के निष्पादन के बाद इसके 45 दिन के अंदर वे अपने ऊपर लगाई गई शास्ति के पुनरीक्षण के लिए मंडल रेलवे प्रबंधक को आवेदन कर सकते है और जहाँ वे मंडल रेल प्रबंधक के नियंत्रण में नहीं है, उस स्थिति में वह वरिष्टतमप्रशासनिक ग्रेड जिसके तहत कार्यरत है के पास आवेदन कर सकता है। मंडल रेल प्रबंधक या वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नियम 25 में

उल्लिखितप्रक्रिया के अनुसारपनरीक्षण आवेदन-पत्र का निपतानकर सकता है और अपने विवेकानुसार ऐसा कोई आदेश पारित कर सकता है बशर्ते इस उपनियम में वर्नित प्रक्रिया वहाँ लागू नहीं की जाएगी जहाँ मंडल रेल प्रबंधक या वरिष्ठतम प्रशासनिक ग्रेड का अधिकारी या कोई उच्च प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी हो बशर्ते इसके अलावाजहाँ इस उप नियम के तहत मंडल रेल प्रबंधक या वरिष्ठतम प्रशासनिकग्रेडद्वारा कोई पुनरीक्षण आवेदन निपटाया गया हो वहाँ नियम-25 के तहत कोई अगामी पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

- संशोधित किए जाने वाले आदेश की तिथि के छ: माह के बाद कोई पुन:रीक्षण नहीं किया जा सकता है, जिसे शास्ति बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया या कर्मचारी के अहित के लिए आशोधित किया गया था। इसे एक वर्ष के बाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा यदि शास्ति कम या निरस्त की गई थी। ये समय-सीमा लागू नहीं मानी जाएगी यदि पुनरीक्षण राष्ट्रपति या मंत्रालय या मुख्य कार्यपालक द्वारा किया जाता था।
- पुनरीक्षण मामलों में निर्णय अपील मामलाकी तरह हो सकते है। शास्ति बढ़ाए जाने के मामले में उचित अवसर दिया जाएगा।

समीक्षा:-

जहाँ कोई नया तथ्य सामने आता है जिससे मामले में निर्णय अत्याधिक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो तो भारत का राष्टपति मामलेकी समीक्षाकर सकता है। राष्टपति किसी भी समय अपने विवेक से या इन्हें संदर्भित मामले के अनुसार समक्षा कर सकता है। वह अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। यदि शास्ति बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है तो कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना था उचित अवसर दिया जाएगा।

- अराजपत्रित कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान:- जहाँ निष्काषन की शास्ति लगाई गई है वहाँ अपीलीय प्राधिकारी अपने विवेकाहनुसार और यदि ऐसा आवश्यक समझे तो वह अपील का निपटान करने से पहले अराजपत्रित रेलकर्मी की व्यक्तिगत सुनवाई कर सकता है।
- राष्ट्रपति किसी भी समय अपने प्रस्ताव या अन्यथा पर इन नियामों के तहत पारित किसी आदेश की समीक्षा कर सकते है जब कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे प्रस्तुतनहीं किया जा सका था या समीक्षाधीन आदेश पारित करते समय उपलब्ध नहीं था और जिसमें मामले की प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रभाव सामने आए या उनके संज्ञानमें लाया गया है: बशर्ते राष्टपति द्वारा आदेश लागू करने या रासी बढ़ाए जाने का आदेश तब तक न किया जाएगा जब तक कि संबंद्ध रेलकर्मी को प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन की जाने का उचित अवसर न दिया गया हो या नियम 6 में निर्दिष्ट प्रमुख किन्हींप्रमुख शस्ति को लागू किए जाना प्रस्तावित है या किसी प्रमुख शास्ति की समीक्षा किए जाने के लिए आदेश द्वारा लागू छोटी शास्ति को बढ़ाया जाना है और मामले में नियम 9 के तहत कोई जाँच पहले ही नहींकी गई हो, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की शासी नहीं दी जाएगी सिवाएनियम 9 में निर्दिष्ट जाँच प्रक्रिया के बाद जो नियम 14 के प्रावधानों के अनुसारहोगा तथा सिवाए इसके कि आयोग के साथ परामर्श के बाद, जहाँ इस प्रकार का परामर्श आवश्यक हो।
- वे दी गई शास्ति के विरूद्ध भी न्यायालय या दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं।

भूमि

प्रश्न-1. निम्नशब्दावलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे:-

i. लीज और लाइसेंस
ii. आउटसाइडर को साइसेंस की गई भूमि के मामले में जमा राशि
iii. Way Leave सुविधाएं/ईजमेंट अधिकार
iv. रेल भूमि का विनिमय
v. रेल भूमि का विभाजन

उत्तर:-

i. लीज और लाइसेंस:-
रेलभूमि केवल लीज पर ही दी जाती है । लीज के लिए सरकारी विभाग के अनुरोध पर मेरिट पर विचार किया जाए । भमि की लीजिंग की अनुमति न दी जाए सिवाए इन मामलों में जहाँ रेलवे बोर्ड ने अनुमोदित किया हो। अन्य सरकारी विभागों को लीज/लाइसेंस पर दी गई रेल भूमि पर किराया भूमि के बाजार मूल्य का 6% लगाया जाए जिसे लीज/लाइसेंसिंग के समय स्थानीय राजस्व प्राधिकरण ने मूल्यांकित किया हो।

ii. आउटसाइडटों को लाइसेंस की गई भूमि के मामले में प्रतिभूति राशि:
- कारारनामा में निम्न विवरण मुहैया कराया जाए:-
- अक्यूपेशन फीस की अग्रिम रूप से मासिक वसूली
- प्रतिभूति राशि का भुगतान जो 12 माह की आक्यूपेशन फीस के समकक्ष होगी
- जब अवधि एक वर्ष या इससे अधिक की हो, तो एक माह की छूट अवधिसहित प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप से 12 माह की आक्यूपेशनफीस की वसूली की जाए
- जब अवधि एक वर्ष या इससे कम की हो तो अग्रिम रूप में पूरी फीस की वसूली की जाए।
- यदि तीन माह की बढ़ी हुई अवधि के अंदर आक्यूपेशन फीस का भुगतान नहीं किया जातातो सरकार प्रतिभूति राशि जब्त कर सकती है।

iii. रेलवे भूमि से वे लीव सुविधा/अधिकारों में उदारता हेतु पार्टी के लिए विशेष प्रयोजन अर्थात रास्ते, इत्यादि के लिए भूमि का यदाकदा या सीमित प्रयोग शामिल है, इसमें भूमि के रेलवे अधिकार, कब्जा, नियंत्रण और प्रयोगको प्रभावित किए बिना पार्टी को भूमि के कब्जे या आक्यूपेशन को कोई अधिकार प्रदान नहीं किए जाना शामिल है किसी निजी घरों के रास्तोंपहुँच मार्ग के रूप में रेलवे भूमि पर वे लीव/ईजमेंट राइट के प्रावधानों और जलापूर्ति, सीवर, बिजली व दूरसंचार लाइनों बिछाने हेतु प्राय: अनुरोध प्राप्त होते है। यदि रेलवे संरेखण की नितांत प्रकृति व विस्तार के मद्देनजर ये अपरिहार्य है।

iv. रेलवे भूमि का विनिमय:- रेलवे प्रशासनअपने विवेकानुसार मौद्रिक समायोजन बिना या सहित अपनी आवश्यकतानुसार अन्य भूमि के लिए अपने आक्यूपेशन में भूमि का समुचित विनिमय कर सकता है। भूमि के निपटान हेतु निर्धारित आवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरणकी पद्धतिका अनुसरण

v. रेलवे भूमि का सीमांकन
- रेलवे भूमि के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित सभी स्थाई भूमि की सीमाओं को सीमांकित किया जाएगा।
- इस प्रयोजनार्थ रेलवे भूमि की सीमा को एक सतत दीवार, बाड़े, नाके या पिलरों आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- जहाँ सीमांकन सतत है वहाँ रेलवे भूमि की सीमा, दीवार, बाढ़,नाके(पोस्ट) आदि के बाहर की तरु होगी।
- जहाँ विभाजन चिन्ह जैसे आइसोलेटिड पोस्ट को रेलवे भूमि की सीमा के तौर पर प्रयोग किया गया है वहाँ इस प्रकार के पोस्टों से बाहर मार्किगके बीच से गुजरेगी तथा प्रत्येक मामले में सीमा एक मार्क के बाहर से अन्य मार्क की आउटसाइडर से सीधी लाइन में ली जाएगी
- विभाजनचिन्ह किसी के 1/5 (200मी.) से अधिक की दूरी (सेंटर से सेंटर) से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होना चाहिए। इनका पक्के चिन्हों से अंकन करे ताकि इन्हें आसानी से मिटाया या खराब न किया जा सके।
- प्रत्येक अलग की गई सीमांकनको एक नंबर दिया जाए।
- जहाँ बाड़ा, दीवार या गड्ढा सीमा के अंदर कुछ दूसरी पर स्थित है और रेलवे भूमि की वास्तविक सीमा का नहीं दर्शाता वहाँ यह आवश्यक होगा कि इन नियमों अनुसार रेलवे भूमि की वास्तविक सीमा की समुचित मार्किग और परिभाषित किया जाए।

प्रश्न.2- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सविस्तार बताएँ।

उत्तर- भूमि अधिग्रहणके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

एपलिकेशन:- जब भी रेलवे के प्रयोजनार्थ भूमि अपेक्षित है तो भूमि के मूल्य के स्टेटमेंट और इसे प्राप्त करने हेतु मसौदा घोषणा के लिए जिलाके राजस्व अधिकारी प्रभारी को सीधे आवेदन पत्र दिया जाए, जहाँ भूमि स्थितहै,

- आवेदनपत्र में जिस प्रयोजनार्थ भूमि अपेक्षित है का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और तद्नुसार, भूमि नियोजनकापूरा सेट तैयार किया जाना चाहिए। यदि एक डिवीजन के अंदर एक से अधिक जिला में अधिग्रहण किया जाना है वहाँ राज्य के

मुख्य राजस्व प्राधिकरण के अंतर्गत एक डिवीजन से अधिक होने की स्थिति में आवेदन पत्र संबद्ध आयुक्त (कमिश्नर) को भेजाजाए।

- ऐसे मामले जहाँ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि मंहगी है वहाँ भूमि की सही पहचान हेतु राज्य सरकार को निम्न विवरण दिया जाए:-
  i. रेलवे का नाम
  ii. सरकार के आदेश की प्रति, जब आवश्यक हो
  iii. रेलवे द्वारा अपनाए जानेवाले मार्ग का संक्षिप्त विवरण।
  iv. सिविल जिलों की सूची जिसमें राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि की लागत के प्राक्कलनहेतु भूमि अपेक्षित होगी।
- रेलवे प्रशासन से आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उत्तरदायी राजस्वअधिकारी रेलवेप्रशासनको इस आश्य का एक विवरण अग्रेषित करेगा जिसमें भूमि की निकतटम अनुमानित लातग के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक मसौदा-घोषणा भी दिया जाएगा, जिस पर इस आश्य की टिप्पणी दर्ज की जाए कि भूमि अधिग्रहण के लिए कोई आपत्ति नहीं है।
- जब भूमि की अनुमानित मूल्य किसी जिला में रु0 25,000 या किसी डिवीजन में एक लाख से अधिक होता है तो यह आवश्यक होगा कि दस्तावेज कमीशनर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए जहाँ यह भूमि क्रमश: मख्य राजस्व प्राधिकरण या राज्य में स्थित है।
- राजस्व प्राधिकरण से प्राप्त डेटा के स्टेटमेंट को भूमि की मूल्य के तौर पर माना जाए इसमें किराएदार के अधिकार शामिल नहीं है, परंतु भूमि पर मकानों के मूल्य, वृक्षों , खड़ी फसलों आदि की अनुमानित लागत को राजस्व प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए। भूमि से संबंधित सूचनाओं सहित रेलवे प्रशासन सविस्तार अधिग्रहण की कुल लागत का प्राकलन (यह विशेषत: उल्लिखित किया जाना चाहिए कि क्याराजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत डेटा से भूमि प्राक्कलन तैयार किया गया है अथवा नहीं) तैयार करेगा (इसके अलावा) इस अधिनियम की धारा 23 (1) उपनियम-1 के तहत भूमि के बाजारमूल्य पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 (2) में उल्लिखित अतिरिक्त 15% । रेलवे प्रशासन द्वारा भूमि का प्राक्कलन :-
  इसमें निम्न सूचनाएँ दी जाए:-
  a) भूमि का मूल्य:-
     i. अनुपयोगी
     ii. कृषि योग्य
     iii. आवासीय
     iv. बाजार
  b) निम्न का मूल्य
     i. पक्के मकान
     ii. पेड़
     iii. कच्चे मकान
     iv. खड़ी फसले
- मकान, वृक्ष और फसल सहित भूमि को बाजार मूल्य पर धारा 23(2) के अंतर्गत अतिरिक्त 15 % प्रतिपूर्ति जोड़ें। सेक्शन 23(1) के 6 के उपनियम 2के तहत क्षतिपूर्ति जोड़ते हुए सरकार का बाजार मूल्य जोड़े। भूमि राजस्व (जब आवश्यक हो) का पूंजीगत मूल्य जोड़े। एस्टाब्लिशमेंट की लागत जोड़े (जब आवश्यक हो) भूमि प्राक्कलन हेतु आकस्मिक स्वीकृति जोड़े:-
  महाप्रबंधक अथवा अन्य कोई अधिकारी जो प्राक्कलन अनुमोदित करने के लिए विधिवत सशक्त है वे अनुमोदन प्रदान करेंगे और आवश्यक धनराशि आबंटित करेंगे तथा भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए लेखा कार्यालय द्वारा विधिवत प्राक्कलन को मसौदा घोषणा, विधिवत हस्ताक्षरित प्लस और शैड्यूल सहित राज्य सरकार को भेजा जाएगा।यदि भमि की अनुमानित लागत के लिए रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है तो भूमि के अधिग्रहणके लिए राज्य सरकार को आवेदन करने से पहले रेलवे प्रशासन को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अवेदन (एपलाई) करना चाहिए।
  रेलवे प्रयोजनार्थ वास्ताविक कार्य:- सामान्य नियम के अनुसार, भूमि को तब तक अधिग्रहित नहीं किया जा सकता जब तक इसे विधिवत अनुमोदित न किया गया हो परंतु यह नियम वास्तविक रेलवे प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहन के मामले में लागू नहीं है
- अत्यावश्यकता के मामले में रेलवे प्रशासन पिछले पैरा में उल्लिखित साधारण नियमोंका अनुसरण न किए जाने के लिए सशक्त है और, कार्य अथवा भूमि के लिए प्राक्कलन के अनुमोदन और तैयार करने से पहले भूमि अधिग्रहण का

अनुमोदन कर सकता है बशर्ते कार्य की कुल संभावित लागत रेलवे प्रशासन की अनुमोदन करने की शक्ति के अंदर होना चाहिए।

प्रश्न.3- निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:-

i. लघुकालीन लाइसेंसिंग
ii. संरक्षा जोन
iii. भूमि योजना का डिजीटीकरण
iv. रेलवे परिसरों के अंदर अत्तरदायित्वों से अवगत करना

उत्तर- (i)लघुकालीन लाइसेंसिंग

प्रदर्शनी, मेला, कार्निवल, सर्कस शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलापों जिसमें इस प्रकार के अवसरों पर अस्थाई शॉपों सहित के लिए भूमि का अस्थाई लाइसेंसिंग महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन के तहत अधिकतम तीन माह के लिए अनुभव किया जाए। इस प्रकार की शक्ति अथ निचले प्राधिकारी को न दी जाए। लाइसेंस शुल्क का दर शॉपिंग आदि के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 20% निर्धारित किया जाए तथापित, एक से अधिक पार्टी होने की स्थिति में बेहतर मूल्य प्राप्तकरने हेतु खुली बोली की व्यवस्था की जाए।

(ii)संरक्षा क्षेत्र:- एक्स्ट्रीम फ्यूचर ट्रैक के सेंटर लाइन के दोनो ओर स्थित 15 मीटर की अंदर थी भूमि को संरक्षा क्षेत्र से जाना जाता है। संरक्षित क्षेत्र किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए तथापि, मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP)के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र यह जो एक्स्ट्रीम फ्यूचर ट्रैक के सेंटर लाइन से दोनों ओर 10 मीटर के अंदर की भूमि होती है।

(iii)भूमियोजना का डिजीटीकरण:- डिजीटीकरण ऑटो कैड (CAD) और /अथवा स्कैनर की सहायता से मैन्यूली तैयार योजनाड्राइंग आदि को ई-प्रारूप में परिवर्तित करने की पद्धति होती है ताकि योजना/ड्राइंगके अद्यतन को सरलता से स्टोरेज किया जा सके ।वीजन LLS(भूमि सूचना प्रणाली) 2000 का विकास भूमि योजना के कंप्यूट्रीकरन के लिए बहुत उपयोगी है,रेलवे भूमि /सीमाओंका उद्यतन मानचित्र उपलब्ध है। न्यायालय में डिजीटीकरण सुरक्षित रहेगा और धनराशि के सरल पहचान क्षेत्र की गणना और अन्य भूमि प्रबंधन की आवश्यकताओं में भी सहायक रहेगा।

(iv)रेलवे परिसर के अंदर उत्तरदायित्वों से अवगत कराना नए अतिक्रमणों की रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा:-

(अ) गुड्स साइड सहित स्टेशनपरिसर के अंदर:- (i) स्टेशन प्रबंधक /स्टेशनमास्टर प्रभारी SCNL के माध्यम से इस प्रकार के नम्बरकृत कंट्रोल संदेश को MTS/इंजीनियरिंग कंट्रोल को भेजेगा।(ii)गुड्स सुपरवाइजर जहाँ ये गुड्स शेड एरिया में तैनात है। (iii)सीनियर सेक्शन इंजीनियर/नि.स्टेशन परिसर की अनुमोदित योजना/आरेखकी व्यवस्था करेगा जिसमें एसएम/जीएस को स्पष्ट रूप से रेलवे सीमाओंसे अवगत कराया जाएगा ।

(आ) कालोनी परिसर के अंदर:- (i)वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर /नि.के.प्रधान कार्यालय स्टेशन स्थित(ii)वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/नि.के.गैर –प्रधान कार्यालय स्टेशन जहां भी रे.सु.ब. निरीक्षक उपलब्ध है:- रे.सु.ब. निरीक्षक (ii)अन्य कालोनियों में स्थित:- (वरि) सेक्शन इंजीनियर/नि.प्रभारी (iii)स्टेशनों के बीच में:- वरि.सेक्शन इंजीनियर (रे.पथ) प्रभारी) (iv)(i)(ii)(iii)के अलावा क्षेत्रों में:- वरि.सेक्शन इंजीनियर/नि.

प्रश्न :-4 : अतिक्रमणों की श्रेणियों की व्याख्या करें:-

उत्तर:- रेलों पर अतिक्रमण की चार श्रेणियाँ है:- ये हैं:-A,B,C और D श्रेणीAहाई आइप का अतिक्रमण होता है ,B,C,D प्रकार का अतिक्रमण सॉफ्ट प्रकार है। श्रेणीA:-सीमेंटिड या अन्य पक्के ढांचों के रूप में बाहरी तत्वों द्वारा अतिक्रमण। PPEअधिनियम -1971 के तहत Aश्रेणी के अतिक्रमण को हटाया जा सकता है।

श्रेणीB:- इजिमेंट के रूप में बाहरी तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण उदाहरणार्थ: फेरीवालों द्वारा भूमि का अस्थाई अधिग्रहण, पशुओं अपशिष्ट, कूडेके लिए रेल भूमि का प्रयोग, रेलवे परिसर इत्यादि की ओर खुलने वाले दरवाजे, जिसेहटाने के लिए

पीपीईअधिनियम के तहत कार्रवाई अपेक्षित नहीं होतीहै। इस प्रकार के अतिक्रमण को रे.सु.व. स्टेशन मास्टर और स्थानीय सिविल प्राधिकरन की सहायता और परामर्श से हटाया जा सकता है।

श्रेणीC:-क्षुग्गी, इत्यादि के रूप में रेल कर्मियों द्वारा अतिक्रमण जिन्हें रेलवे आवास आवंटित नहीं किया गया है। रेलवे बोर्डके दि. 09.03.1990 के पत्र सं. 90/LM/(L)/14/34 के अनुसार इस प्रकार के अतिक्रमण को हटानेके लिए डीएंड ए आर के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

श्रेणीD:- जिन रेलकर्मी को आवास आबंटित किया गया है उनके द्वारा अतिक्रमण और पशु,इत्यादि रखने के लिए भूमि के अनाधिकृत प्रयोग में स्ट्रक्चर के बढ़े रूप में रेल भूमि पर अतिक्रमण करना। रेलवे बोर्ड के दि. 09.03.1990 पत्र सं. 90/LM/(L)/14/34के अनुसार इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने हेतु डीएंड ए आर कार्रवाई की जा सकती है।

प्रश्न 5:- कल्यान संगठन निजी स्कूलों,आदि को रेल भूमि की लाइसेंसिंग देने की व्याख्या करें।

उत्तर (a) मंदिर समिति, रेलवे सहकारी स्टोर, सहकारी सोसाईटियों, हस्तकरखा केंद्र तथा अन्य कल्याणार्थ संगठनों को रेलवे भूमि लाइसेंस किए जाने के लिए प्रचलित नियमानुसार इनसे नाममात्र का शुल्क लिया जाए।

(b)निजी स्वामित्व के स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, आदि के शिक्षा उद्देश्य से लाइसेंस पर दी जानेवाली रेल भूमि के लिए रेलवे बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित होगा इसके लिए नाममात्र प्रभारलिया जाना चाहिए। नाममात्र प्रकार मौजूदा नियमानुसारलियाजाए। रेलकर्मियों के बच्चों के लिए नए स्कूल खोले जाने हेतु राज्य सरकार, द्वारा अपेक्षित रेल भूमि की लीज अवधि 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।केंद्रीय विद्यालय को रेलभूमि लीज किए जानेके मामले में यह अवधि 99 वर्ष होगी।

प्रश्न:6:- अतिरेक भूमि के निपटानकी प्रक्रिया की व्याख्या करें।

उत्तर :- जब यह विनिश्चय किया गया भूमि का कुछ या अतिरेक क्षेत्ररेलवे के किसी भी विभाग द्वारा अब अपेक्षित नहीं है और इसे निपटाया जा सकता है तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए:- (1) यदि भूमिअन्य किसी रेलवे या केंद्र सरकार के विभाग के आसपास या इससे संबंधित है तो सबसे पहले इसे प्रस्तावित किया जाए । यदि इनमें से कोई एक इसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है तो अंतरण का औपचारिक रिकार्ड बनाया जाए।

(2) राज्य जहाँ अतिरेक भूमि अवस्थित है तो संपूर्ण हिस्से के संभावित कब्जे का विकल्प दिया जाएगा। जो निम्न शर्तों के अंतर्गत होगा:-

(a) केंद्र सरकार स्वयं यह निर्णय लेगी कि क्या वह किसी भूमि विशेष को रखना चाहती है अथवा नहीं।

(b)राज्य सरकार भूमिका कब्जा लेने को इच्छुक है तो इसे हुतु कार्रवाई छ: माह के अंदर की जाएगी। भूमि की देय राशि अंतरण की तिथि का बाजार मूल्य होगा। यदि राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण लेने को इच्छुक नहीं है तो केंद्र सरकार, इसे किसी तीसरी पार्टी को देने के लिए स्वतंत्र होगी। ग्राउंड रेन्ट लगाने और जिन शर्तों यदि कोई है के तहत इसे बेचा जाना चाहिए तो सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करेगी और वे यथासंभव भूमि का निपटान करेगी ।

(3) यदि राज्य सरकार कब्जा लेने को अनिच्छुक है तो भूमि का निपटान सर्वश्रेष्ठ लाभ को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

(4) यदि कोई भी विभाग भूमि अधिग्रहित करने के लिए इच्छुक नहीं है तो रेलवे वेन कोओपरेटिव सोसायटी इस भूमि के लिए अनुरोध करती है तब संबद्ध राज्य सरकार से आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद इसे छोड़ा जा सकता है।

(5) यदि कोई रेलवे न ही केंद्र सरकार का कोई िवभाग और नही राज्य सरकार भूमि अधिग्रहित करने के लिए इच्छुक नहीं है तो रेलवे प्रशासन भूमि को अपने पास रखें।

प्रश्न-7: भूमि प्लॉट के विस्तार, स्वामित्व में बदलाव आदि के संबंध में सविस्तार व्याख्या करें।

उत्तर - भूमि के प्लॉट के विस्तार और स्वामित्व में बदलाव के मामले में निम्न कदम उठाए जाने पर विचारकिया जाए:-

यदि जहाँ प्लाट होल्डर मुख्तारनामा पर वास्तविक लाइसेंसी की ओर से अपनाकोई व्यवसायकर रहा है तो मौजूदा प्लाट होल्डर से पूछा जा सकता है कि वह अपनेनाम पर आबंटन हेतु फ्रेशआवेदन करें।रेलवे बोर्ड के दि. 29.08.1995 (01.04.95 से

31.03.14) के पत्र सं. 83/W2/LM18/87के अनुसार लाइसेंस शुल्क की दर भूमि के बाजार मूल्य का 10% निर्धारित है और दिनांक 10.02.95 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार 10% (01.04.2004 से आगे) निर्धारित है, जो इस शर्तके साथ ही प्लाट/शॉप को किसी अन्य को अंतरित या मुख्तारनामापर बेचा नहीं जाएगासहित एक बारी के अपवादिक फ्रेश एग्रीमेंटकिए जानेसे पहले सभी बकाया राशि 7%के साथ वसूलकिए जाने के अंतर्गत होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा।

यदि जहाहँवास्तविक लाइसेंसी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक रूप से अनुप्युक्त है तो स्वामित्व कानूनीउत्तराधिकारी को अंतरित किया जा सकता है जो कि सरकारी अस्पताल से अनफिट के सत्यापन के तहत होगा। अंतरण, तथापि, नवीनतम नियमों व शर्तों के अनुसार होगा जहाँ कानूनी उत्तराधिकारी की पहचान न हो सके वहाँलाइसेंस निरस्त किया जाए।

मौजूदा प्लाट/स्टाल के क्षेत्र के विस्तार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रयोजन रेलवे कार्य प्रणाली के अनुसार नहीं होने पर भूमि की लाइसेंसिंग पर प्रतिबंध को मद्देनजर किसी भी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न-8: अधिक अन्न उगाओ के लिए रेल भूमि के उपयोग के लिए नियम व शर्तों की व्याख्या करें।

उत्तर:- निम्न नियम व शर्तों के साथ ग्रुप C व D को रेल भूमि भी आबंटित की जा सकती है:-

- अतिक्रमण की आशंका के तहत शहरी क्षेत्र में रेल भूमि को खेती के लिए लाइसेंस पर दिया जाना चाहिए
- समाज के अ.जा, अ.ज.जा., अ.पि.वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राधिमानत: दी जाए।
- आबंटन से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि निकट भविष्य में रेलवे के लिए भूमि अपेक्षित न हो
- किसी आउटसाइडर या राज्य सरकार या राज्य के उपक्रमों को भूमि लाइसेंस न की जाए।
- प्लॉट का आकार 1 से 3 एकड़ होना चाहिए विशेष अनुरोध पर यह 5 एकड़ तथा आबंटित की जा सकती है।
- रेलवे और आबंटित द्वारा उचित करार, पर हस्ताक्षर किए जाएँ और प्लाट अन्य कर्मचारी या आउटसाइडर को हस्तांतरितन किया जाए।
- कर्मचारी से इस आश्य का वचनबद्ध पत्र लिया जाए कि खेती के लिए इस प्रकार के कार्यकलापों के कारण ऑफिशियल ड्यूटी बाधित नहीं होनी चाहिए।
- निपटान देयताओं के भुगतान से पहले इंजीनियरिंग विभाग से अनापति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
- उन कर्मचारियों को लाइसेंस न दिया जाए जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम रह गई है और सेवानिवृत्ति की तिथि से कम-से-कम 3 वर्ष पहले लाइसेंसअवश्य वापिस लिया जाए।
- किसी कर्मचारी विशेष के लिए लाइसेंसिंग की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो।
- आरंभिकलाइसेंस मंडल द्वारा 2 (दो) वष्र्ज्ञ के लिए जारी किया जाएगाऔर बाद में विस्तार सहायक इंजीनियर द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली के बाद अधिकतम कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
- जल प्रबंधनलाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा।
- रेलवे प्रशासन के पास अधिकार है िक वे किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकते है।
- प्रत्येक मामले की आवश्यकता और मैरिट के अनुसार लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जा सकता है प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी के साथ परामर्श करके मंडल रेल प्रबंधक द्वारा लाइसेंस शुल्क संशोधित किया जा सकता है।
- लाइसेंस के नवीकरण से पहले प्रतिभूति राशि सहित प्रत्येक वर्ष पूरा लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से वसूल किया जाए।
- मंडल प्रधान कार्यालय के साथ-साथ आई.ओ.डब्ल्यू./सहायक इंजीनियर अपने क्षेत्राधिकार में इस स्कीम के अंतर्गतलाइसंसी प्लाट के विवरण का रख-रखाव रखेगा।
- आईओ डब्ल्यू कार्यालय में रखे रजिस्टरों में सहायक इंजीनियर, स्पष्ट रूप से लोकेशन एरिया, प्रारंभ्रिक लाइसेंस के लिए प्राधिकार पत्र का आबंटन प्रस्तुत लाइसेंस के विस्तार का अनुमोदन तथा लाइसेंस शुल्क के रूप चुकाएगई राशि के विवरण का उल्लेख करेगा। विस्तार का प्राधिकार सहायक इंजीनियर द्वारा किया जाता है। सहायक इंजीनियर व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें कि रजिस्टर अद्यतन किया गया हो।

प्रश्न.9- पी.पी.ई. अधिनियम 1971 के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया को बताएँ ।

उत्तर:- अतिक्रमण की श्रेणीA के तहत सीमेंट स्ट्रक्चर के रूप में हाई टाइप के अतिक्रमण को पीपीई, अधिनियम, 1911 के तहत हटाया जा सकता है।

धारा10A:- संपदाअधिकारी की नियुक्ति रेलवे प्रशासन का कोई राजपत्रित संपदाअधिकारी के तौर पर नामित किया जा सकता है और पीपीई अधिनियम की कार्यवाही के उद्देश्यार्थकेंद्र सरकार द्वारा इसे राजपत्रमें अधिसूचित किया जाए।

धारा10B:-रेल भूमि से बेदखली

- बशर्ते प्रथम दृष्टया फोर्स की विश्वसनीय दलील हो कि व्यक्ति ने छ: माह की अवधि के अंदर रेल भूमि पर कब्जा किया है। वे संपदा अधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे क्योंकि ऐसे मामलों में इस प्रकार की रेलवे भूमि में प्रवेश करने और ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए आदेश लिया जाना चाहिए ।
- यदि संपदा अधिकारी इस प्रकार की जाँच के बाद वह मामले की परिस्थिति की व्यवहारिकता से इस आश्य से संतुष्ट हो कि जिस व्यक्ति को अस्थाई या अनुबंध आधारया इनकीनियुक्ति के आधार पर रेल भूमि के अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी द्वाराउक्त रेलवे भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इस आश्च के कारणों को लिखित में दर्जकरते हुए तत्काल इस प्रकार के व्यक्ति की बेदखली के आदेश जारी करें और यदि इस प्रकार का व्यक्ति बेदखली के उक्त आदेश का अनुपालनया इसे लेने से इंकारकरे तो उसे परिसरसे हटाया जा सकता है और उससे कब्जा ले लें तथा यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजनार्थ रे.सु.ब. की सहायता ले सकते हैं।
- जब फोर्स को अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे भमि में प्रवेश करना है तो वे ऐसी रेल भूमि में प्रवेश की अनुमति के लिए संपदा अधिकारी को आवेदन करेंगे और संपदा अधिकारी इस आश्य से स्वयं के संतुष्ट होनेकेबाद फोर्स के अधिकारी जो उपनिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगाको इसकी अनुमति देगा।

धारा10सी:-अनाधिकृत निर्माण हटाने की शक्ति

किसी भी व्यक्ति को रेलवे भूमि पर कोई बिल्डिंग बनाने या निर्माणकी अनुमति नहीं होगी सिवाय इस प्राधिकरण को जिसके अंतर्गत इसे रेलवे भूमि अधिग्रहित करने की अनुमति दी गई थी।

- यदि कोई ढाँचा या अचल ढाँचा खड़ा किया जाता है तो संपदा अधिकारी एक सूचना देगा जिसमें अतिक्रमनकर्ता को नोटिस के 7 दिनों के अंदर उक्त ढांचा हटाए जाने के लिए कहा जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति अतिक्रमण हटाने के लिए इन्कार करता है तो संपदा अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस बल को निर्देश देगा।
- जब बिल्डिंग बनाने या कार्य शुभ किया गया हो अथवा कियाजा रहा हो अथवा पूरा हो गया हो तो संपदा अधिकारी इस अधिनियम के तहत अतिरिक्त अन्य कोई कार्रवाई कर सकता है इस आश्य के दर्ज किए कारणों के लिए आदेश दिया जाए और निद्रश दिया जाए कि जिस व्यक्ति ने ढांचा खड़ा करना शुभ कियाया किया गया अथवा पूरा किया है, उसके द्वारा ही इसे हटाया जाएगा।
- उपरोक्त उप-धारा के तहत संपदा अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा कि हटाए जाने के आदेशदिएजाने से पहले या बाद में किसी भी समय इस प्रकार के ढांचे को सील करनेके लिए आदेश जारी करेगा।
- कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सील को नहीं हटाएगा सिवाएसंपदा अधिकारी के आदेश अथवाअपीलीय अधिकारी के आदेश पर ।

अपील:- कोई अपील संपदा अधिकारी के आदेश से की जाएगी जो इस प्रकार के आदेश से 30 दिनों के अंदररेलवे लाइन से रेल दावा अधिकरण को किए जाने के संबंध में की गई है, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार है जहाँ यह रेलवे भूमि अवस्थित है बशर्ते अधिकरण उक्त अवधि की समाप्ति के बाद उस अपील पर विचार कर सके। यदि यह संतुष्टि हो जाए कि अपीलकर्ता को समय से अपील फाइल करने के लिए पर्याप्त कारणों से वंचित किया गया था:

आदेश पारित करना: जांच अधिकारी अतिक्रमण को हटाने के लिए अपने आदेश को प्रभावीबनाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो,इस प्रकार के निर्देश के संबंध में आदेश पारित कर सकता है।

आदेश का अनुपालन : जब जांचअधिकारी अतिक्रमण को हटानेके कोई आदेश पारित करताहै तो व्यक्ति इस प्रकार के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा और रेल प्रशासन को कब्जा सुपुर्द करे अन्यथा जांच अधिकारी रे.सु.ब. को कब्जा लेने के लिए निर्देश देगा और इसे रेलवे प्रशासन को सौपेगा।

प्रश्न10- अतिक्रमण का पता लगाने, निवारण और हटाने के लिए प्रक्रिया आदेश ।

उत्तर :- विभिन्न विभागों के स्टाफ द्वारा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने, निवारण और हटाए जाने के लिए निम्न कार्रवाई की जाएगी:-

(1)भूमि रिकार्ड और रजिस्टर

(1.1) इंजीनियरिंग विभाग सेक्शन इंजीनियर (संबद्ध) द्वारा संबद्ध सेक्शन के लिए कुल रेल भूमि का अद्यतन इंदराजों सहित एक रजिस्टर रखा जाएगा पूरी और अद्यतन भूमि योजना की एक प्रति में.रे.प्रबंधक कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। भा.रे.नि. नियमावली (IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 806 व 807 में उपलब्ध इन आश्य के स्पष्ट अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए:-

1.2 भूमि सीमाओं का सीमांकन:- रेलवे सीमाओं के उचित रख-रखावके लिए इंजीनियरिंग संहिता (संशोधितसंस्करण 1993) के पैरा 1047 एवं 1048 और (IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 808 व 811 (i) के अनुसार सीमा खंभों का रख-रखाव किया जाए और इसे भूमि से 500 मि.मी. ऊपर तक दर्शाया जाए।

1.3 मुद्रित भूमि सीमा सत्यापान पंजिका:- जिसमें अतिक्रमण का विवरण दर्शाया जाए और इंजी. विभाग के संक्शन इंजीनियर (नि./रेलपथ संबंद्ध) द्वारा गायब (मिसिंग) सीमा पत्थरों था रख-रखाव किया जाएगा। सेक्शनों के सेक्शन इंजीनियर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जाए और(IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 813 के अनुसार सहायक इंजीनियर/मं.इंजीनियर/वरि.मंडल इंजीनियर द्वारा आवधिक रूप से इनका सत्यापन कियाजाए।

1.4 निम्न पैर 2.2 (IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 813 (a) के अनुसार, प्रत्येक सेक्शन इंजीनियर, स्थानबार अतिक्रमण की सूची रखेगा और इसकी एक प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन और संबद्ध जीआरपी स्टेशनको भी दी जाए। प्रत्यके वर्ष पहली अप्रेल को सूची के अद्यतनकिया जाए और उपरोक्तानुसारपरिपत्रित किया जाए।

(2) अतिक्रमणके प्रकार:-

2.1 (IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 814 (d) के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अतिक्रमणको वर्गीकृतकिया गया है।

2.2. प्रत्येक सेक्शनल सेक्शन इंजीनियर (संबद्ध) द्वारा एक प्रारूपी प्रपत्र का अनुसरण किया जाता है जिसमें निम्नानुसार अतिक्रमण का विवरण दर्शाया जाता है:-

अतिक्रमण का विवरण:-

सेक्शन ----------मंडल----------

उपमंडल----------प्र.कार्यालय----------

2.3. यदि अतिक्रमणकारी रेल कर्मी है तो कर्मचारी का नाम, पदनाम, विभाग और नियंत्रक अधिकारी पयर्वेक्षक का उल्लेख करते हुए विस्तृत ब्योरा तैयारकरें तथा इसे सेक्शन इंजीनियर (कार्य/रेलपथअन्य) द्वारा अतिक्रमण के ब्यौरासहित संबद्ध विभाग को अग्रेषित किया जाए।

(3) अतिक्रमण का निवारण

3.1. नए अतिक्रमण के निवारण हेतु उत्तरदायित्व

नए अतिक्रमण के निवारण/रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायित्वनिम्नानुसार दिया जाएगा:-

(i)स्टेशन परिसर के अंदर :- स्टेशन पर संयुक्त रूप से संबद्ध रे.सु.ब. निरीक्षक और वरिष्ठतम रे.सु.ब. आँफिशियल के साथ साथ स्टेशन मास्टर जहाँ रे.सु.ब. निरीक्षक की तैनातीनहीं है।

(ii)कालोनी परिसर के अंदर/आसपास:- स्टेशन पर संबंद्ध रे.सु.ब. निरीक्षक और वरिष्ठतम रे.सु.ब. ऑफिशियल थे साथ संबद्ध सेक्शन इंजीनियर (कार्य) संयुक्त रूप से जहाँ रे.सु.ब. का कोई निरीक्षक तैनातनहीं है।

(iii)स्टेशनों के मध्य:- संबद्ध सेक्शन इंजीनियर, (कार्य/रेलपथ) और रे.सु.ब. ऑफिशियल के साथ संयुक्त रूप से

(iv)लोकोशेड में/आसपास:- लोकोशेड के नामित सेक्शन इंजीनियर और रे.सु.ब. निरीक्षक

(v)कैरिज व वैगनडिपों मे/आसपास:- डिपों का नामित सेक्शन इंजीनियर और रे.सु.ब. ऑफिश्यिलके साथ संयुक्त रूप में।

(vi)वर्कशापमें/आसपास:- वर्कशाप के नामित इंजीनियर (उस विभाग का जिस वर्कशाप से यह संबंधितहै) और रे.सु.ब. के ऑफिशियल के साथ संयुक्त रूप से

3.2. किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं हुआ है के संबंध में हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए अतिक्रमण के निवारण के प्रति भूमि सीमाओं का समुचित अनुरक्षण पहला और प्रभावी उपाय है। भूमि जहाँ संभावित अतिक्रमण हो सकता है या मंहगी है उन स्थानों पर निरपवाद रूप से सीमा-दीवार और बाड़ें लगाए जाए। मंडल रेल प्रबंधक भूमि की संवेदनशीलता और लागत के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सीमा संरचना (बाड़ा या पेड श्रंखला या सतत दीवार अथवा गड्ढे, आदि)की प्रकृति पर, निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में इजीनियरिंग संहिता (संशोधित संस्करण 1993) के पैरा 1047 और 1048 और (IRWM) (2000 संस्करण) के पैरा 808-811(i) में विस्तृत दिशा- निर्देश उपलब्ध है।

3.3. जहाँ अतिक्रमण प्रारंभी हो और/अथवा किया जा रहा है वहाँ पैरा 3.1 में विर्निर्दिष्ट ऑफिशियल द्वारा इस प्रकार तत्काल कार्रवाई की जाए। यह सरल है कि इस चरण पर जागरूकता, सहमति,निगरानी, बल-प्रयोग, आदि द्वाराअतिक्रमणका निवारण किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर अपने स्टाफ की सहायता लेगा और स्टेशन सीमा के अंदर रेलवे भूमि को खाली करने अथवा डिस्मेंटल करने के लिए अतिक्रमनकारी को समझाएगा। इस तरह की कार्रवाई स्टेशन मास्टर/सेक्शन इंजीनियर (संबद्ध) और रे.सु.ब. निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए।अतिक्रमण के निवारण के लिए उत्तरदायी ऑफिशियल की ड्यूटी होगी कि नए या प्रारंभी अतिक्रमण के निवारण हेतु सभी उपायों किया जाए । यदि वे स्वयं सफल नहीं होते तो उनकी ड्यूटी होगी कि इस आश्यकी लिखित के साथ-साथ मौखिक सूचना से मंडल एवं उपमंडलों के सं.मं.इंजीनियर अथवा म.इंजीनियर या वरि.मंडल इंजीनियर/Aom या मं. परि. प्रबंधकया वरि.मंडल परिचालनप्रबंधक/ASC या DSC के साथ-साथ एस.पी/डी.सी./स्थानीय पुलिस और सिविल अथोरिटी को अवगत कराते हुए उनसे अनुरोध करें कि वे इसे रोकने के लिए उपाय करें।

- जैसे ही उन्हे इसकी जानकारी होती है तो संबद्ध मंडलीय अधिकारी अतिक्रमण की निगरानी के लिए सिविल और पुलिसप्राधिकरणों के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के साथ संपर्क करते हुए व्यवस्थाएँ करें।
- जब रेलवे प्राधिकरण द्वारा समझाएजाने पर कोई परिणम नहीं निकले तो यदि आवश्यक हो तो निर्माणबलपूर्वक रोका जाए इसके बाद इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत FIR दर्ज की जाएगी जिस क्षेत्र पर पुलिस का क्षेत्राधिकार है वे रे.सुब. निरीक्षक की सहायता लेंगे जो समन्वय भी करेगा। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 (2) के प्रावधान के अनुसार उपधारा (1) में संदर्भित किसी व्यक्ति को रेलकर्मी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जिसे रेलकर्मी ने अपनी सहायता के लिए बुलाया है के द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे में कोई FIR दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। खाली भूमि पर अतिक्रमण के निवारण के लिए उचित पेड़ों (जल्दी उगने वाले प्रकार के) का वृक्षारोपण भी एक ऐसी पद्धति भी अपनाई जा सकती है।
  यदि बारंबार अतिक्रमण से स्थान प्रभावित होता है तो अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद वृक्षारोपण किया जा सकता है और क्षेत्र को कांटेदार तारों से कवर की जा सकती है।

4. अतिक्रमण का पता लगाना और हटाए जाना:-

4.1. नया अतिक्रमण और अतिचार:-जैसा पहले उल्लिखित था कि नए अतिक्रमण/अतिचारके निवारण की मुख्य दायित्व इस क्षेत्र के रे.सु.ब. अधिकारी प्रभारी और ऑफिशियल के ऊपर होगा। किसी आकस्मिक अतिक्रमण /निर्माणके मामले में संबंद्ध अधिकारी जहाँ आवश्यक होगारे.सु.व. की सहायता लेंगे और इस प्रकार की अतिक्रमण/अतिचारको रोकेगा और यदि अपेक्षित हुआ तो संबंधितों के विरूद्ध स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. भी दर्ज करेगा।

- उस स्थान का रे.सु.ब. निरीक्षक/प्रभारी अधिकारीअन्य प्राधिकारियों की पूरी सहायता मुहैया कराएगा। बढ़ाईगईपुलिस सहायता मुहैया कराने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो मंडलीयसुरक्षा आयुक्त अथवा पुलिस स्टेशन के स्थानीय प्रभारी अधिकारी से अतिरिक्तपुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी।

4.2. पक्का अतिक्रमण:-

पीपीई- अधिनियम के अंतर्गत कानून द्वारा वर्णित कार्य-विध के अनुसार पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए सेक्शन इंजीनियर(कार्य/रेलपथ) उत्तरदायी होगा। सेक्शन इंजीनियर, अतिक्रमणकारीके विरूद्ध संपदा अधिकारी के न्यायालय में बाद दर्ज करेगा।

- संपदा अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरानइंजीनियरिंग: वाणिज्य, यातायात, यांत्रिक या सुरक्षा विभाग के संबद्ध अधिकारी प्रेजेंटिंग अधिकारी के दौर पर कार्य करेंगे और कार्यवाही के शीघ्र निपटानमें सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।
- संपदा अधिकारी के न्यायालय द्वारा निर्णयदिये जाने के तत्काल बाद न्यायालय के आदेशानुसार सेक्शन इंजीनियर(कार्य/रे.पथ) अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित उपाय करेगा। इसमें इन्हें संबद्ध एस.एम./रे.सु.ब. निरीक्षक और स्थानीय पुलिस द्वारा सहायतामिलेगी। रे.सु.ब. पोस्ट के मंडल/एएससी/आईपीएफ के मं.सु. आयुक्त स्थानीय पुलिस सहायता के लिए समन्वय करेगा। मंडलीय प्रधान कार्यालय पर इस संबंध में मं.रे. प्रबंधक बैठक की अध्यक्षता कर सकते है अथवा यदि सिविल अथारिटी ऐसा चाहती है तो जिला प्राधिकरण के साथ ऐसी बैठकों में भाग ले सकते हैं। यदि अतिक्रमण बड़ा और संवेदनशील या कानून व्यवस्था के लिए अधिक संभावित धमकी का हो तो ऐसे उपाय विशेषत: उठाए जाएंगे।

4.3. पी.पी.ई.अधिनियम के बिना भी अतिचारऔर छोटे अतिक्रमण भी हटाए जा सकते हैं। रेल कर्मियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को विभागीय/अनुशासनिक कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा सकता है जिसके लिए अतिक्रमणकारी कर्मचारी का नियंत्रणमंडल अधिकारी उत्तरदायी होगा।

5.0 अतिक्रमण की निगरानी

5.1. निम्नपैरों में रेल भूमि पर अतिक्रमण का ABCविशलेषण किया गया है इस हेतु बोर्ड का दि.31.03.198 पत्र सं 98/LML/14/7 को संदर्भित किया जा सकताहै।

5.1.1. Aश्रेणी स्टेशन:- इसका मुख्य इंजीनियर/CGE के माध्यम से महाप्रबंधक स्तर पर निगरानी की जाए।

5.1.2. Bश्रेणी स्टेशन:-वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय)/मंडल इंजीनियर(संपदा) के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर निगरानी की जाए।

5.1.3. शेष मंडल स्तर के अधिकारी पर मॉनिटर किए जा सकते हैं।

5.2 श्रेणीA , श्रेणीB के लिए अतिक्रमणकीनिगरानीक्रमश: महाप्रबंधक और मं.रेल प्रबंधक स्तरपर उपरोक्तानुसारकी जाए। श्रेणीA के लिए समीक्षा रेलवे बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसे हेतु प्रधान कार्यालय द्वारा छमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है। श्रेणीB के लिए समीक्षा महाप्रबंधक स्तर पर भी की जाएगी। अर्थों के लिए मंडल रेल प्रबंधक स्तर पर की जाएगी।

5.2.1. Aश्रेणी के लिए छमाही प्रगति रिपोर्ट बोर्ड भेजने के लिए मंडल पाँचवे माह के अंतिम सप्ताह के अंदर, बोर्ड के प्रोफार्मा(बोर्ड के दि.31.03.98 का अनुलग्नक सी) के अनुसार निरपवाद रूप से सूचना भेजी जाए।

B श्रेणी स्टेशनों के लिए छमाही प्रगति रिपोर्ट जिसकी महाप्रबंधक स्तर समीक्षा की जाती है इसे Aश्रेणी को रिपोर्ट भेजने के दौरान मंडलों द्वाराभी भेजी जाए। बी श्रेणी के लिए सूचना ए श्रेणी के प्राफार्माके अनुसार भेजी जा सकती है।

6. संयुक्त निरीक्षण और समीक्षा:-

6.1 पैरा 3.1 में निर्दिष्ट आधिकारियों द्वारा मासिक संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए, जबकि अन्य विभाग सेक्शन इंजीनियर(कार्य/रे.पथ) के विधिवत सहयोग से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुराने और नए अतिक्रमणों की ऑन द स्पॉट अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट अनुलग्नक 5 में दिए गए प्रपत्र की अनुसारतैयार की जाए। ऐसी रपटें संबद्ध निरीक्षक द्वारा संबंद्ध विभागों के शाखा अधिकारी /उच्च आधिकारियों को भेजी जाए)

6.2 सेक्शन इंजीनियर(कार्य/रेलपथ) आई आर डब्ल्यू एम (2000 संस्करण) के पैरा 814 (e) में उल्लिखित अतिक्रमण रजिस्टरका अद्यतन करें।

7.प्रभार लेना/देना

(क) सेक्शन इंजीनियर (कार्य/रेलपथ) को प्रभार लिए जाने/दिए जाने के दौरान मौजूदा अतिक्रमण का एक संयुक्त फील्ड जाँच किए जाना परमावश्यक होगा। इसके बाद इनके क्षेत्रधिकार में अतिक्रमणें की संख्या पर अतिक्रमण रजिस्टर के अंत में संयुक्त हस्ताक्षर किए जाएं। तथा यह कि जो उपाय पूरे किए गए है वह आउटगोइंग पर्यवेक्षक के हैन्डिंग ओवर नोट में विशेषत: उल्लिखित किए जाने वाला अपेक्षित मद होना चाहिए।

वाणिज्य, यातायात, यांत्रिक, सुरक्षा और अन्य विभागों से संबद्ध अधिकारियों द्वारा ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाए।

(ख) यदि प्रभार दिए जाने के दौरान नए अतिक्रमण संज्ञान में आ रहा हो और उच्च अधिकारी/प्राधिकरण के नोटिस में लिखित में जिसके बारे में विशेषत: उल्लेख नहीं किया गया था तब संबद्ध अधिकारी कीगोपनीय रिकार्ड में इस आश्य की उचित प्रतिकूल प्राविष्टि की जाएगी तथा उन पर (वे) पैरा 8 के अनुसार डी एंड आर के तहत भी लाए जाऐंगे।

(8) अनुशासन एवं अपील नियम कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व : संबद्ध शाखा अधिकारी के लिए यह लाजिमी है कि रेलवे भूमि पर कोई नया अतिक्रमणकिया जाता है तो रेलवे भूमि के संरक्षा के लिए उत्तरदायी अधिकारी को रेल सेवक (अनुसंशा एवं अपील नियम) के तहत लिया जा सकता है।

* चूंकि नए अतिक्रमणें के निवारण के लिए रे.सु.ब. निरीक्षकों को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी जाती है इसलिए यह अनिवार्य है कि सेक्शन इंजीनियर (कार्य) द्वारा रे.सु.ब. ऑफिशियल को रेलवे भूमि का सीमांकन दशाने वाली भूमि दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराईजाए ताकि इस प्रकार, चिन्हितकरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसी प्रकार, पहली अप्रेल को अतिक्रमण की अद्यतन सूची तैयार की जाए। प्रत्येक वर्ष भी यह उपलब्ध रहनी चाहिए । किसी गैर रे.सु.ब. स्टेशनजहाँ एक भी रे.सु.ब. कर्मी तैनात नहीं है वहाँ अतिक्रमण के निवारणके लिए क्षेत्राधिकार के रे.सु.ब. निरीक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है किंतु ऐसे नए अतिक्रमणों को हटाने और बेदखली संबधी सभी कार्रवाई में वे शामिल रहेंगे।

संक्षिप्त टिप्पणी

प्र.सं.1 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:-

1. पटरी नवीकरण के लिए मानदंड
2. पटरी फ्रेक्चर की मरम्मत
3. समपार पर चेक-रेल टूटे होने की स्थिति में की गई कार्रवाई।
4. LWR लेरोटरी (LERROTERY) में बकलिंग और इसके निवारक उपाय की व्याख्या करें।

1. पटरी नवीकरण के लिए मानदंड:- पटरी नवीकरण के मानदंड के संबंध में निम्न पर विचार किया जाता है:-

- पटरी फ्रेक्चर /फेल्योरके मामले
- पटरी पर घिसावट
- निर्धारित मानकों के अनुसार रेलपथका रख-रखाव
- ढोए गए सकल मिलियन टन के रूप में प्रत्याशित सर्विस लाइफ
- योजना आधारित नवीकरण

(a) पटरी फ्रेक्चर/फेल्योर के मामले- अल्ट्रासॉनिक रूप से फ्रेक्चार और /या पट्टी में दरार के कारण एक वर्ष में प्रति 10 कि.मी. पर पटरी के पाँच विदड्रावल( ) वाले सेक्शन विशेष पटरीके फ्रेक्चर IMR की श्रेणी में आते है पटरी नवीकरणपर निर्णय लेने के दौरान इस पर प्राथमिकता दी जाएगी। फिश प्लेटिड /वेल्डिड ज्वाइंटों पर पटरी के फ्रेक्चर प्री-डोमिनेंट(Pre-dominant)होने के मामलों में वेल्डिंग या बिना बेल्डिंग वाले एन्ड ग्रॉसिंग (end crafting)पर विचार कियाजा सकता है। रेलपथ के लोकेशनमें थ्रू रेल रिन्यूवल की भी अनुमति है जहाँ प्रति रेलपथ कि.मी. पर 30 से अधिक खराब वेल्ड हैं।

(b)पटरी मे दरार (i)सेक्शन की लिमिटिंग लोस सीमित हानि पटरी के नवीकरण संस्तुत करने के लिए पटरी सेक्शनमें लिमिटिंग लोस को एक मानदंड के तौर निम्नानुसार अपनायाजाएगा:

गेज	पटरी सेक्शन	%में सेक्शन में लोस
बड़ी लाइन	52 कि.ग्रा./मीटर	6
	90 R	5

विशेष प्रोफाइल माप करने वाले गजट सहित पटरी प्रोफाइल लेते हुए और अनफिनिशिंग ज्वाइंटोंके बाद एन्ड स्थित पटरी का प्रोफाइल लेते हुए वास्तविक तौल-भार द्वारा पटरी में दरार निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) कोरोजन (जंग) के कारण दरार पड़ना:- बेब और फुट में 1-5 मानदंड के तौर पर लिया जा सकता है। लोकोलाइज्ड कोरोजन की उपस्थिति जैसे थोरोजन पिट्स विशेषकर रेलफुटपर फुट और लोनर बाइटिंग(lonar biting) आदि के अंडरसाइड पर को फेटीग क्रेकके उदगम के लिए स्ट्रेस रेजर के तौर पर लिया जाए और इसका नवीकरण करना आवश्यक होगा।

(iii) लम्बवत टूट-फूट- पटरी हैड की गहराई में कमी इस स्तर पर पहुँच जाए जहाँ फिश प्लेट का व्हील फलेंग द्वारा ग्रेज करना या जोखिम हो तो वहाँ ऐसी पटरी की नवीकृत कियाजाए। लम्बबत दराद की सीमा जिसके बाद नवीनीकरण किया जाने की प्लांनिंग हो इसे नीचे दिया गया है:-

लम्बबत टूट-फूट

गेज	पटरी सेक्शन	%में सेक्शन में लोस

बड़ी लाइन	60 कि.ग्रा./मीटर	1300 मि.मी.
	52 कि.ग्रा./मीटर	08.00 मि.मी.
	90 R	05.00 मि.मी.

पटरी के बीच से लम्बबत टूट-फूट की माप कैलियर द्वारा टूटी हुई पटरी की ऊंचाई की माप करके अथवा प्रोफाइल को प्लॉटिंग करके माप की जाती है। पहले मामले में टूट-फूट नई पटरी की ऊंचाई और टूटी हुई पटरी की ऊंचाई के बीच का अंतर है।